15.4.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद सं0 07 / 2007–08
जमाल मोमिन
बनाम
बरकत मोमिन
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदक जमाल मोमिन पे0–स्व0 अलिम मोमिन उर्फ अलीमुद्दीन मोमिन, सा0–मनिहारीटोला(भट्टा), थाना–राधानगर, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 612 / 2004–05 में दिनांक 19.01.2005 / 12.01.2005 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। दाखिल आवेदन के अवलोकन एवं अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई दिनांक 17.03.2018 को प्रारंभ की गई।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न है:–

मौजा	जमाबंदी न0	दाग न0	रकवा
सरफराजगंज	1280	2814	00–06–18 धूर

आज अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा सरफराजगंज ज0न0 1280 रकवा 19–16½–00 धूर जमीन के जमाबंदी रैयत बरकतुल्ला मोमिन थे। जमाबंदी रैयत बरकतुल्ला मोमिन के मृत्यु उपरांत उनके पुत्र करीम बक्स मोमिन के द्वारा उक्त जमीन का लगान जमा करते रहे है। वर्ष 1969 में करीम बक्स मोमिन के मृत्यु उपरांत उनके पुत्र अलीम मोमिन वंशानुगत उक्त जमीन में घर बनाकर निवास करते रहे है एवं उक्त जमीन का लगान अदा भी करते रहे। अलीम मोमिन के मृत्यु उपरांत उक्त जमीन का मौखिक बंटवारा हुए। बंटवारा के फलस्वरुप अपीलार्थी उक्त 07 कट्ठा जमीन पर वास्तव में घर बनाकर अपने जीवित रहते निवास किये। उनका यह भी कहना है कि 07 कट्ठा जमीन अन्तर्गत प्रश्नगत रकवा 06 कट्ठा 18 धूर जमीन जो नौवहार बीबी पति सलीम मोमिन के द्वारा बेबी बेवा एवं बरकत मोमिन को धोखाधडी एवं मनगढत विक्रय केवाला बनवाकर बेचा गया है।

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि बरकतुल्ला मोमिन के पुत्र कुर्बान मोमिन अपने पिता के जीवित में ही स्वर्गवास हो गये। फलस्वरुप मुस्लिम कानून के अनुसार उनके वारिसान को वंशानुगत जमीन में हिस्सा नही मिलता है। इसके अनुसार नौवहार बेवा, जो कुर्बान मोमिन के पुत्र सलीम मोमिन की पत्नी है, को उक्त जमीन पर हक हकूक नही बनता है। इस प्रकार उत्तवादी क्रम संख्या 01 बरकत मोमिन तथा क्रम संख्या 02 बेबी बीबी को नौवहार के द्वारा जमीन विक्रय करना सिर्फ व सिर्फ जालसाजी है। फलस्वरुप उत्तरवादी के द्वारा काल्पनिक विक्री केवाला बनवाकर राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा वगैर पंजी–II से मिलान किये व स्थल जॉच किये ही नामान्तरण अंचल अधिकारी के द्वारा करवाया गया है।

साथ ही उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया है कि उत्तरवादी के नामान्तरण को लकर किसी भी प्रकार का न तो सूचना, न ही नोटिस प्राप्त कराया गया है। जो विधि अन्तर्गत न्याय संगत नही है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या

Scanned with CamScanner

612/2004–05 में दिनांक 19.01.2005/12.01.2005 में पारित आदेश को अपास्त (Set –a-side) करने का अनुरोध किये है।

उत्तरवादी उपस्थित। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि निबंधित केवाला संख्या 2614/दिनांक 20.07.2004 के द्वारा उत्तरवादी क्रम संख्या 01 बरकत मोमिन तथा क्रम संख्या 02 बेबी बेवा उत्तरवादी को विक्रेता नौवहार बीवी पति स्व0 सलीम मोमिन के द्वारा बेचा गया है। फलस्वरूप दोनो उत्तरवादी उक्त जमीन पर शांति पूर्वक रह रहे हैं तथा दोनो के नाम से नामान्तरण भी हो चुका है।

उनके द्वारा यह भी संज्ञान में दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, राजमहल के न्यायालय में भारतीय दण्ड विधान की धारा 467,468 अन्तर्गत मुकदमा भी दायर किया, जिसे उक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.07.2016 को बिना पुष्ट के ही समाप्त कर दिये। साथ ही उक्त अपीलार्थी के द्वारा टाईटल सूट 27/2005 (जमाल मोमिन बनाम कोयेस मोमिन वगै0) राजमहल न्यायालय के स्वत्व वाद भी दायर किया था, जिसमें प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी न0 1280 का जिक्र है। यह वाद भी अपीलार्थी हार गया। इस प्रकार उपरोक्त दोनो वादों के निर्णय से पता चलता है कि अपीलार्थी का उक्त विवादी जमीन पर कोई भी मालिकाना हक नही है।

अतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा दाखिल नामान्तरण अपील वाद को खारीज किया जाय।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। उक्त अभिलेख में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन का मिलान खतियान एवं पंजी–II से किया व सही पाया। विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुतौहु ने मृत पति को आपसी बंटन में प्राप्त जमीन निबंधित केवाला संख्या 2614/दिनांक 20.07.2004 द्वारा आवेदक को विक्री की है। उक्त जमीन पर आवेदक का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। साथ ही हल्का कर्मचारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित जमीन भूदान, भूहदबंदी, बन्दोवस्ती, वासगीत पर्चा आमखास, रेलवे बी क्लास जमीन एवं विवाद से मुक्त है, फलस्वरूप आवेदक के नाम नामान्तरण की अनुशंसा हल्का कर्मचारी के द्वारा किया गया है। हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन को अंचल निरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं अनुशंसित किया गया है। समर्पित एवं अनुशंसित प्रतिवेदन के अधार पर अंचल अधिकारी द्वारा आवेदक के नाम नामान्तरण की स्वकृति प्रदान की गई है।

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थति पर सम्यकरुपेण विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि यह वाद स्वत्व एवं अधिकार से संबंधित है।

अतएव वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

Scanned with CamScanner